भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 280
गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हिसार विमानपत्तन का विकास

***280. श्री जय प्रकाशः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिसार में मौजूद विमानन अवसंरचना को औपचारिक रूप से विमानपत्तन घोषित कर दिया गया है अथवा वह अभी भी 'एयरोड्रोम' के रूप में कार्य कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) हिसार विमानपत्तन/एमरोड्रोम के उन्नयन, विस्तार और वहां से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू करने के लिए बनाई गई किसी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रनवे के विस्तार, टर्मिनल भवन के निर्माण, रात्रि में विमान उतारने की सुविधा, हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) टावर और कार्गो से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए कोई वित्तीय आवंटन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार निकट भविष्य में हिसार से नियमित घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू करने या क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के अंतर्गत इसे सक्रिय करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): वविरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"हिसार विमानपत्तन का विकास" के संबंध में श्री जय प्रकाश द्वारा पूछे गए दिनांक 18.12.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 280 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): हरियाणा राज्य में स्थित हिसार हवाईअड्डा, हरियाणा राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक प्रचालनरत हवाईअड्डा है तथा राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच हस्ताक्षरित प्रचालन एवं अनुरक्षण समझौते के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित किया जाता है। वर्तमान में हिसार हवाईअड्डे से दिल्ली, अयोध्या, चंडीगढ़ और जयपुर सहित अन्य स्थानों के लिए एलाइंस एअर द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें परिचालित की जा रही हैं।

हरियाणा राज्य सरकार ने हिसार हवाईअड्डे पर 486.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक एकीकृत टर्मिनल भवन, कार्गो टर्मिनल, एटीसी टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन केंद्र भवन का निर्माण और संबद्ध निर्माण कार्य किए हैं।

हिसार हवाईअड्डे को बोली प्रक्रिया के दूसरे चरण के दौरान आरसीएस – 'उड़ान' योजना के तहत चिह्नित किया गया था। 'उड़ान' 5.3 और 5.4 के तहत, हिसार को देहरादून, चंडीगढ़ और धर्मशाला से जोड़ने वाले मार्गों के लिए एयरलाइन प्रचालकों को आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के बाद से भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है, जिससे एयरलाइनें मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों (आरडीजी) के अनुसार मार्गों और विमान के प्रकारों का चयन कर सकती हैं। तदनुसार, किसी भी हवाईअड्डे पर हवाई सेवाओं का आरंभ होना एयरलाइन की परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन है।

******